

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA



# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-25082021-229211  
SG-DL-E-25082021-229211

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243]	दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 24, 2021/भाद्र 2, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 145
No. 243]	DELHI, TUESDAY, AUGUST 24, 2021/BHADRA 2, 1943	[N. C. T. D. No. 145

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली अभिलेखागार विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 24 अगस्त, 2021

सं. फा. डीए-ए014/2/2020-रिकॉर्ड्स/1174.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितंबर, 1968 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 3532 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 30 सितंबर, 1976 की अधिसूचना संख्या फा. 2(20)/76-एस-II द्वारा अधिसूचित पद ज़िरोक्स ऑपरेटर के लिए भर्ती नियमों के अधिक्रमण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली अभिलेखागार विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में ज़िरोक्स ऑपरेटर के पद हेतु भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, यथा:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :- (i) इन नियमों को दिल्ली अभिलेखागार विभाग, ज़िरोक्स ऑपरेटर भर्ती नियमावली, 2021 कहा जायेगा।  
(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :-उक्त पदों की संख्या, इन का वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :-उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (11) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :-वहव्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :- जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए सक्षम अधिकारी के परामर्श से एवं आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव**:-इन नियमों के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक या अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### अनुसूची

1.	पदनाम।	: ज़िरोक्स ऑपरेटर।
2.	पदों की संख्या।	: 01*(2021) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण।	: समूह 'ग', सामान्य केंद्रीय सेवा अराजपत्रित, अलिपिकीय।
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	: स्तर- 4(25,500-81,100 रुपये)।
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद।	: लागू नहीं।
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा।	: 18-27 वर्ष के बीच।  टीप 1 : केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों के लिये अधिकतम आयु-सीमा में चालीस वर्ष तक की छूट होगी।  टीप 2 :आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विज्ञापित होंगे।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं।	: अनिवार्य :-  (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं अथवा समकक्ष उत्तीर्ण।  टीप 1 : नियुक्त उम्मीदवार से अपेक्षित होगा कि वह सेवा प्रशिक्षण में परीवीक्षा अवधि के दौरान भारत राष्ट्रीय लेखागार से प्रतिलिपिकरण (रेपोग्राफी) में अल्पावधिक प्रशिक्षण को सफलता पूर्वक पूरा करें।  टीप 2 : उम्मीदवार के अन्यथा सुयोग्य होने पर दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी के विवेक के आधार पर अभिलेखबद्ध लिखित कारणों से योग्यता शिथिलनीय है।

		<b>टीप 3</b> : सक्षम प्राधिकारी की राय से यदि चयन के किसी स्तर पर इन समुदायों (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति) के लिए आरक्षित पदों पर रिक्तियों को भरने के लिए उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या के पास अपेक्षित कार्यानुभव संभवतः न उपलब्ध हो तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में कार्यानुभव के संबंध में अर्हताओं में छूट सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	: लागू नहीं।
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है।	: सीधी भर्ती के लिये दो वर्ष।
10.	भर्ती की पद्धति।	: प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.) द्वारा जिस के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाना है।	: <b>प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी) :</b> केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारों/केंद्र-शासित प्रदेश प्रशासन/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/संवैधानिक अथवा स्वायत्त निकायों/मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों/ मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी :  (क) (i) मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर सादृश्य पद को धारण किए हो, अथवा  (ii) मूल कैडर/विभाग में पे-मैट्रिक्स अथवा समकक्ष में स्तर-3 के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा के साथ, अथवा  (iii) मूल कैडर/विभाग में पे-मैट्रिक्स अथवा समकक्ष में स्तर-2 के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा के साथ।  और  (ख) कॉलम 7 में विस्तृत शैक्षणिक योग्यता और राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश/विश्वविद्यालय अभिलेखागारों के माइक्रोफिल्मिंग अनुभाग में तीन वर्ष का अनुभव रखता हो।  <b>टीप :</b> (केंद्रीय सरकार के उसी या कुछ अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पूर्ववर्ती किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सम्मिलित है, जो सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण (लघु-अवधि संविदा सहित)पर स्थानान्तरण द्वारा हुई नियुक्ति के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	: <b>समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा स्थायी करण पर विचारार्थ :</b>  1. प्रधानसचिव/सचिव (ऊर्जा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — अध्यक्ष।

		2. सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग / अभिलेखागार), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	— सदस्य ।
		3. उप-सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	— सदस्य ।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है ।	: लागू नहीं ।	

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,  
स्वाति शर्मा, सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा / अभिलेखागार)

## DEPARTMENT OF DELHI ARCHIVES

### NOTIFICATION

Delhi, the 24th August, 2021

**No. F. DA-A014/2/2020-Records/1174.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affairs' notification number S.O. 3532 dated the 24<sup>th</sup> September, 1968 and in supersession of the recruitment rules for the post of Xerox Operator notified vide notification No. F.2(20)/76-S.II dated 30<sup>th</sup> September, 1976, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of Xerox Operator in the Department of Delhi Archives, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short Title and Commencement.** — (1) These rules may be called the Department of Delhi Archives for the post of Xerox Operator Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of Posts, its classification and level in pay matrix.** - The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification etc.** - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in the columns (5) to (11) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.** - No persons, -

(a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or

(a) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Competent Authority, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by Government of India from time to time, in this regard.

## SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay Level	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Xerox Operator.	01* (2021)  *subject to variation dependent on workload.	General Central Service Non-Ministerial, Non-Gazetted, Group, C.	Level – 4 (Rs. 25,500-81,100).	Not Applicable.	Between 18 and 27 years.  <b>Note 1:</b> The Upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.  <b>Note 2:</b> The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the DSSSB/Competent Authority.	<b>Essential:</b>  1. 12 <sup>th</sup> or equivalent passed from a recognized Board.  <b>Note 1 :</b> The appointed candidate shall be required to successfully complete the short-term training in Reprography from National Archives of India in service training within the period of probation.  <b>Note 2 :</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the DSSSB/Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.  <b>Note 3:</b> The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees	Period of Probations, if any	Method of Recruitment	In case of recruitment, by promotion/deputation/transfer grade from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not Applicable.	Two years for direct recruits.	By Deputation (ISTC) failing which by Direct Recruitment.	<p><b><u>Deputation (ISTC) :</u></b></p> <p>Officers from the Central Government/State Governments/Union Territory Administrations/Public Sector Undertakings/Statutory or Autonomous Bodies/Recognized Universities/Recognized Research Institutes:</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department; or</p> <p>(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-3 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/department; or</p> <p>(iii) with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-2 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/department.</p> <p><b>AND</b></p> <p>(b) possessing the educational qualifications detailed in Column No. 7 and three years relevant experience in microfilming section Unit of State/UT/University Archives.</p>	<p><b>Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Principal Secretary/ Secretary (Power), Government of NCT of Delhi : <b>Chairman.</b></li> <li>2. Secretary (ACL/ Archives), Government of NCT of Delhi : <b>Member.</b></li> <li>3. Deputy Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi : <b>Member.</b></li> </ol>	Not Applicable.

			<p><b>Note:-</b> (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract)/transfer shall be not exceeding fifty six years, as on the closing date of receipt of applications).</p>		
--	--	--	---	--	--

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,  
SWATI SHARMA, Secy. (ACL/Archives)